CANCELLED CANCELLED CANCELLED CANCELLED CANCELLED CANCELLED CANCELLED

(135)

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर</u>

<u>(खण्डपीठ जबलपुर) म.प्र.</u>

निग - 2128 - I 16

(159)

राजाभैया आ. शंकरसिंह लोधी आयु 75 वर्ष,

निवासी–ग्राम डांगीढाना

तहसील व जिला नरसिंहपुर म.प्र. ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

विनोद आ. मुन्नालाल प्रजापति

निवासी–शिवाजी वार्ड, कंदेली, नरसिहंपुर

तहसील व जिला नरसिंहपुर म.प्र. ....उत्तरवादी

राजाभैया लोधी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ....
20 JUN 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

<u>पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–129 (4) सहपठित धारा</u>

<u>50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959</u>

पुनरीक्षणकर्तागण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर के सीमांकन प्रकरण राजस्व मामला कमांक–19–अ–12 वर्ष 2015–2016 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 03.05.2016 एवं सीमांकन से पीड़ित होकर अनेक आधारों में से निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :–

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

1. यह कि उत्तरवादी विनोद प्रजापति के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर के माध्यम से राजस्व निरीक्षक बचई वृत तहसील व जिला नरसिंहपुर को एक सीमांकन आवेदन दिया था जिसमें उसनने निवेदन किया कि उसकी भूमि मौजा बचई, नं.बं.–264, प.ह.नं.–67, तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित खसरा नंबर 190/1 रकबा 0.466 हे., 190/3 रकबा 0.466 हे. भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है जिसका वह सीमांकन कराना चाहता है, जिस पर नायब तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर ने राजस्व निरीक्षक बचई वृत को सीमांकन को आदेशित किया जिस पर से राजस्व निरीक्षक महोदय वृत बचई ने सरहदी कास्तकारों को कोई सूचना दिये बिना विधि विरूद्ध सीमांकन दिनांक 03.05.2016 को किया और फील्ड बुक, नक्शा, पंचनामा, अंतिम प्रतिवेदन आदि दस्तावेज नायब तहसीलदार

NOTARY D.P. Soni GOVT. OF M.P.

राजा भैया

राजाबैगा / विनोद

R. 2128 - I / 2016 नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/7/18 जबलपुर	आवेदक एवं आवेदक अभि. को तीन बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अना. की ओर से श्री- बी०एस. साहू अभि. उपस्थित। 2- आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	25-7-18

शाक्षेमुग्वा — 184 — फॉर्म्स — 29-8-16 — 15,000 प्रपत्र.